भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone :25487245/25487243

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-3034/2024
Ref: DCSEM/Enft/e-3034/2024/777

अगस्त August 05, 2024

परिपत्र CIRCULAR

विषय: स्थिर पानी में मच्छरों के पनपने से बीमारियाँ बढ़ने के खतरे के संबंध में।
Sub: Mosquito breeding in stagnant water leading to increased risk of diseases- reg.

इस निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि मुंबई के पऊवि क्वार्टरों में कई आबंटितियों ने पैरापेट, बालकनियों, सीढ़ियों, लैंडिंग आदि पर फूलों के गमले रखे हैं। इसके अलावा, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें इमारत के सामान्य क्षेत्रों में निवासियों ने कंटेनरों, बाल्टियों, पानी के ड्रमों आदि में पानी जमा कर रखा है। बरसात के मौसम में जगह-जगह पानी जमा होने के कारण मच्छरों के पनपने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जानलेवा बीमारियाँ फैलती हैं। इसके अलावा, बालकनियों के बाहरी स्थान पर रखे गए फूल के गमले भवन की संरचना और पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के अलावा साथी निवासियों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।

It has been brought to the notice of this Directorate that several allottees in DAE Quarters at Mumbai have kept flower pots on the parapets, balconies, staircases, landings, etc. In addition, cases have been reported wherein residents have stored water in containers, buckets, water drums etc. in the common areas of the building. Chances of mosquito breeding drastically increases in rainy season due to accumulation of water at various places and thus aggravate the chances of life-threatening diseases like malaria, dengue, chikungunya etc. Further, flower pots kept in the outside space of balconies may also pose danger to the life of fellow residents besides being a threat to building structure and damage to painting of the building.

2. सरकारी आवासों के आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग) बॉम्बे नियम 1982 के नियम XV (ए) के अनुसार, जिस अधिकारी को आवास आबंटित किया गया है, वह संपदा प्रबंधन निदेशालय (अब निसेसंप्रनि) की संतुष्टि के लिए आवास और परिसर को स्वच्छ स्थिति में बनाए रखेगा। सरकारी आवासों के आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग) बॉम्बे नियम 1982 के नियम XV (डी) के अनुसार, सीढ़ियों, लैंडिंग और सामान्य मार्ग, सर्विस शाफ्ट और छतों, तथा इमारतों के आसपास कोई वस्तु नहीं रखी जाएगी। आबंटिती की ओर से इस नियम के प्रावधानों के विपरीत किसी भी कार्य को संपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा आबंटिती के जोखिम और लागत पर निपटाया जाएगा और आबंटन भी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

As per Rule XV(a) of Allotment of Government Residences (Department of Atomic Energy) Rules 1982, the official to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Directorate of Estate Management (now DCSEM). As per Rule XV(d) of Allotment of Government Residences (Department of Atomic Energy) Rules 1982, no article shall be kept on the staircase, landings and common passages, service shafts and terraces, and around the buildings. Any act on the part of the allottee contrary to the provisions of this rule shall be dealt with as deemed fit by the Directorate of Estate Management at the risk and cost of the allottee and the allotment is also liable to be cancelled.

3. मुंबई के सभी पऊवि कॉलोनियों के आबंटितियों/निवासियों से अनुरोध है कि वे इमारत के सामान्य क्षेत्रों में पानी जमा न करें, फूल के गमले न रखें और ऐसे व्यक्तिगत सामान को तुरंत हटा दें, अन्यथा आबंटन रद्द करने के अलावा संबंधित आबंटितियों से इसे हटाने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसकी लागत वसूल की जाएगी।

Allottees/residents of all DAE colonies in Mumbai are requested to refrain from storing water and keeping flower pots in the common areas of the building and remove such personal belongings immediately failing which action to remove the same departmentally will be initiated and cost thereof will be recovered from the allottees concerned besides cancellation of allotment.

4. यह निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Director, DCSEM.

05-08-2024

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

सेवा में: मुंबई स्तिथ अणुशक्तिनगर / पऊवि की अन्य कॉलोनियों के आबंटिती - सभी संबंधित अनुरक्षण यूनिटों द्वारा प्रदर्शित/ व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
To: Allottees of Anushaktinagar/other DAE colonies in Mumbai – Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
2. मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए Administrative Heads of all Units of DAE – For circulation among the employees in their unit.
3. महासचिव आरवा/मारवा/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यू General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM website.